

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग-03 (मत्स्य)

देहरादून: दिनांक 11 जून, 2019

विषय- अनुदान संख्या 31 के अन्तर्गत संचालित "मत्स्य पालन विविधीकरण योजना" में वर्ष 2019-20 हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-261/म०पा०वि० योजना/2019-20, दिनांक 24 अप्रैल, 2019 एवं पत्र संख्या-779/विविधीकरण-जनजाति/2019-20, दिनांक 23 मई, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजस्व मद में अनुदान संख्या 31 के अन्तर्गत संचालित लेखाशीर्षक, 2405-मछली पालन, 796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना, 04-मत्स्य पालन विविधीकरण योजना-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद में प्राविधानित धनराशि रू० 2000 हजार (रू० बीस लाख मात्र) के सापेक्ष संलग्न परिशिष्ट-क की तालिका-1 में उल्लिखित कार्यों हेतु तालिका-2 के स्तम्भ-2 में उल्लिखित जनपदों एवं मत्स्य निदेशालय हेतु तालिका-2 के स्तम्भ-9 के विवरणानुसार कुल धनराशि रू० 2000 हजार (रूपये बीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-254/3(150)-2017/XXVII (1)/2019, दिनांक 29 मार्च, 2019 एवं सुसंगत शासनादेशों में प्रदत्त दिशा-निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।
- (2) आदेश द्वारा स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु जारी Allotment ID की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
- (3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी आदेशों व वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।
- (4) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत व्यय की सूचना (कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक) प्रतिमाह 5 तारीख तक बी०एम०-08 प्रपत्र पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
- (5) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जायेगा। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
- (6) धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
- (7) किसी भी दशा में एक मद में स्वीकृत की जा रही धनराशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी का पूर्णतः उत्तरादायित्व होगा, जो बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।
- (8) जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनमें स्पष्टरूप लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र, व्यय विवरण, लाभार्थियों की सूची फोटोग्राफ सहित शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) किसी भी क्रय/विक्रय हेतु अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेन्ट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रहों के अनुसार, आय-व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही मितव्ययता संबंधी आदेशों, डी०जी०एस०एन०डी० की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन, 796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना, 04-मत्स्य पालन विविधीकरण योजना -20- सहायक अनुदान/अंशदान /राज सहायता मद के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-254/3(150)-2017/XXVII(1)/2019, दिनांक 29 मार्च, 2019 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्या- 4०६ (1)/XV-3/2019-08(09)/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद नैनीताल/पिथौरागढ़/बागेश्वर/चमोली/देहरादून /उधमसिंहनगर।
5. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
6. राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
7. नियोजन विभाग/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. निदेशक, बजट राजकोषीय एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(वी०एस० पुण्डीर)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या- 406/XV-3/2019-08(09)/2018, दिनांक 11 जून, 2019 का संलग्नक

मत्स्य पालन विवधीकरण योजनान्तर्गत रू० 20.00 लाख के कार्यों का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का जनपदवार निर्धारण:-

1. भौतिक लक्ष्य

क्र० सं०	जनपद का नाम	मैदानी तालाब सुधार एवं प्रथम वर्षीय इनपुट (हे० में)	पर्वतीय तालाब सुधार एवं प्रथम वर्षीय इनपुट (यूनिट में)	समन्वित मत्स्य पालन-पर्वतीय क्षेत्र (यूनिट में)	समन्वित मत्स्य पालन-मैदानी क्षेत्र (यूनिट में)	मोबाईल फिश स्टॉल (संख्या में)	प्रचार-प्रसार एवं साहित्य वितरण
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
1.	नैनीताल	--	02	01	--	01	योजना के पैम्पलेट, फोल्डर प्रकाशन आदि कार्य
2.	पिथौरागढ़	--	03	01	--	--	
3.	बागेश्वर	--	02	01	--	--	
4.	चमोली	--	03	01	--	--	
5.	देहरादून	--	04	01	--	01	
6.	उधमसिंहनगर	1.00	--	--	01	--	
	योग	0.40	14	05	01	02	--

2. वित्तीय लक्ष्य

(धनराशि लाख में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	मद						योग
		मैदानी तालाब सुधार एवं प्रथम वर्षीय इनपुट (हे० में)	पर्वतीय तालाब सुधार एवं प्रथम वर्षीय इनपुट (यूनिट में)	समन्वित मत्स्य पालन-पर्वतीय क्षेत्र (यूनिट में)	समन्वित मत्स्य पालन-मैदानी क्षेत्र (यूनिट में)	मोबाईल फिश स्टॉल	प्रचार-प्रसार एवं साहित्य वितरण	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
1.	नैनीताल	--	0.84	0.83	--	1.50	--	3.17
2.	पिथौरागढ़	--	1.26	0.83	--	--	--	2.09
3.	बागेश्वर	--	0.84	0.83	--	--	--	1.67
4.	चमोली	--	1.26	0.83	--	--	--	2.09
5.	देहरादून	--	1.68	0.83	--	1.50	--	4.01
6.	उधमसिंहनगर	3.00	--	--	3.96	--	--	6.96
7.	मत्स्य निदेशालय	--	--	--	--	--	0.01	0.01
	योग	3.00	5.88	4.15	3.96	3.00	0.42	20.00


 (वी०एस० पुण्डरीर)
 उप सचिव।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - (2019 - 2020)
Secretary-Secretary, Fisheries(S014)
HOD-Director Fisheries(4362)

आवंटन पत्र संख्या -406/XV-3/2019-08(09)2018

अनुदान संख्या-031

आवंटन आई डी-S19060310007

आवंटन पत्र दिनांक-11-JUN-2019

लेखा शीर्षक 2405-मछली पालन
796-जन जाति क्षेत्र उप योजना
00-0

00--

04-मत्स्य पालन विविधीकरण योजना

00--										Voted		
2	4	0	5	0	0	7	9	6	0	4	0	0
मानक मद का नाम												
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता												
योग												
वर्तमान में जारी											अब तक का व्यय	योग
पूर्व में जारी											0	2000000
योग											0	2000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.20,00,000 (Rupees Twenty Lacs Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(सोहन गुप्ता)
उप-निदेशक, मत्स्य विभाग
मुख्यालय, देहरादून-248001